कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर

आदेश

क्रमांक /5315/ एस.डब्ल्यू. / 2019 जबलपुर दिनांक 5 अगस्त, 2019.

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति, जिला स्तरीय सलाहकार समिति के गठन मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (मंत्रालय) के पत्र क्रमांक 4004 / 1789 / 2017 / सत्रह / मेडि–02 दिनांक 22.07.2017 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के पत्र क्रमांक 1208 / क्षे.का. / प्रनिबो. / 2019 जबलपुर दिनांक 01.08.2019 के अनुसार जिले में जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के क्रियान्वयन बाबत् जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1.	कलेक्टर जबलपुर	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर	सदस्य सचिव
3.	सिविल सर्जन / आर.एम.ओ. जबलपुर	सदस्य
4.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर	सदस्य
6.	आयुक्त नगर निगम, जबलपुर	सदस्य
7.	अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल ऐसोसिऐशन, जबलपुर	सदस्य
8.	अध्यक्ष, नर्सिंग होम ऐसोसिएशन, जबलपुर	सदस्य
9.	प्रोपराईटर सी.बी.डब्लू.टी.एफ.(Common Bio Medical Waste Treatment Facility)	सदस्य
10.	श्री योगेश गनोरे, कदम संस्था, 101 कौशल्या बिहार नेपियर टाउन, नवीन विद्या भवन भवन रोड, जबलपुर (नामाकिंत एन.जी.ओ.)	सदस्य

यह समिति जिला स्तर पर जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों को समिति के समक्ष रखेगी।

02/08/19
जिला मजिस्ट्रेट,
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक /5315/ एस.डब्ल्यू. / 2019 जबलपुर दिनांक 5 अगस्त, 2019.

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
2. सर्व संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट, जबलपुर की ओर उक्त समिति के गठन को वेबसाइट में डालने हेतु अग्रेषित।

02/08/19
जिला मजिस्ट्रेट,
जबलपुर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर

आदेश

क्रमांक /5314/एस.डब्ल्यू./2019 जबलपुर दिनांक 5 अगस्त, 2019.

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसपल बेंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 710/17, 711/17, 712/17, 713/17 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के पालन एवं आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 867/2019 जबलपुर दिनांक 25.07.2019 में दिये गये निर्देशानुसार जिला पर्यावरण योजना समिति का गठन नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम 2016 के प्रावधानों/क्रियान्वयन को सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण योजना समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1.	कलेक्टर, जबलपुर	अध्यक्ष
2.	महापौर, नगर निगम, जबलपुर	सदस्य
3.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, जबलपुर	सदस्य
4.	आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर	सदस्य
6.	क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर	सदस्य सचिव
7.	परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, जबलपुर	सदस्य

यह समिति नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम 2016 के प्रावधानों/क्रियान्वयन को सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु समिति के समक्ष अपशिष्ठ प्रबंधन संबंधी मुद्दो को रखेगी। समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में आयोजित होगी। सदस्य सचिव द्वारा प्रगति की मासिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जावेगी।

02/08/19
जिला मजिस्ट्रेट,
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक /5314/एस.डब्ल्यू./2019 जबलपुर दिनांक 5 अगस्त, 2019.

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
2. सर्व संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर की ओर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 867/2019 जबलपुर दिनांक 25.07.2019 की प्रति संलग्न कर दिये गये निर्देशानुसार एन्वारमेंट प्लान तैयार कर इस कार्यालय को वेबसाइट में डाले जाने हेतु प्रस्तुत करें।
4. जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट, जबलपुर की ओर उक्त समिति के गठन को वेबसाइट में डालने हेतु अग्रेषित।

03/08/19
जिला मजिस्ट्रेट,
जबलपुर